भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 1422

गुरुवार, 14 दिसम्बर, 2023/23 अग्रहायण, 1945 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु समुद्री तटों का विकास

1422 श्री आर. धरमार:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु सहित देश में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु समुद्र तटों को विकसित करने का कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन तटीय राज्यों और तमिलनाडु के भीतर समुद्री तटों को पर्यटकों हेतु पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु विकसित किया जा रहा है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ तमिलनाडु के भीतर उन प्रत्येक समुद्री तटों हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ङ): पर्यटक स्थलों की पहचान और विकास मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) प्रशासन द्वारा किया जाता है तथापि पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए अपनी 'स्वदेश दर्शन' और 'तीर्थस्थल जीर्णोद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके प्रयासों को संपूरित करता है।

वर्ष 2014-15 में स्वदेश दर्शन योजना के आरंभ से अब तक पर्यटन मंत्रालय ने तटीय परिपथ थीम के अंतर्गत 10 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है जिसमें तमिलनाडु सहित देश में समुद्र तटों पर विकास कार्य शामिल हैं। इसके साथ ही प्रशाद योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय ने तमिलनाडु में 02 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है।

इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई राशि, जारी की गई राशि और इनके भौतिक रूप से पूरा होने संबंधी स्थिति सहित विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक और गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी और जिम्मेदार पर्यटक गंतव्यों के विकास के उद्देश्य से अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) योजना के रूप में परिवर्तित किया है और पर्यटन मंत्रालय ने तमिलनाडु राज्य सरकार के परामर्श से 'मामल्लापुरम' और 'नीलगिरी' को एसडी 2.0 के तहत विकास के लिए गंतव्य के रूप में अधिसूचित किया है।

*****

अनुबंध

श्री आर. धरमार द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु समुद्री तटों का विकास के संबंध में दिनांक 14.12.2023 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के लिखित प्रश्न सं. 1422 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में **विवरण**

स्वदेश दर्शन योजना के तहत तटीय परिपथ थीम परियोजना का विवरण और प्रशाद योजना के तहत तमिलनाडु में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

(राशि करोड़ रु. में)

स्वदेश दर्शन						
क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**वर्ष**	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृत राशि**	**जारी की गई/प्राधिकृत राशि**	**भौतिक स्थिति**
1.	आंध्र प्रदेश	(2014-15)	काकीनाडा - होप आइलैंड - कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य - पसारलापुडी - अडुरू - दक्षिणी यनम - कोटिपल्ली का विकास	67.83	67.83	पूर्ण
2.	आंध्र प्रदेश	(2015-16)	नेल्लोर - पुलिकट झील - उब्बलमदुगु जल प्रपात - नेलपट्टू - पक्षी अभ्यारण्य - मायपाडू बीच - रामतीर्थम का विकास	49.55	49.55	पूर्ण
3.	पुद्दुचेरी	(2015-16)	दुबरायापेट, अरिकामेडू, चिन्न वीरमपट्टिनम, चुनंबर, नल्लावाडू, मानापेट, कालापेट, फ्रेंच स्वाटर तमिल क्वाटर और यनम का विकास	58.44	58.44	पूर्ण
4.	पश्चिम बंगाल	(2015-16)	बीच परिपथ का विकास: उदयपुर - दीघा - शंकरपुर - ताजपुर - मंदारमणि - फ्रेसरगंज - बख्खलई - हेनरी द्वीप	67.99	65.07	पूर्ण

5.	महाराष्ट्र	(2015-16)	सिंधुदुर्ग तटवर्ती परिपथ - शिरोदा बीच, सागरेश्वर, तारकर्ली, विजयदुर्ग (बीच और क्रीक), देवगढ़ (दुर्ग और बीच) मितभाव तोंडावली, मोसेमद और निवाति किले का विकास	19.06	18.11	पूर्ण
6.	गोवा	(2016-17)	सिंकेरिम - बागा, अंजुना - वागाटोर, मोरजिम - केरी, अगौडा किला एवं अगौड़ा जेल का विकास।	97.65	97.65	पूर्ण
7.	ओडिशा	(2016-17)	गोपालपुर, बरकुल, सतपाडा तथा तम्पारा का विकास	70.82	67.28	जारी (93% पूर्ण)
8.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	(2016-17)	लांग आईलैंड - रॉस स्मिथ आईलैंड - नील आईलैंड - हैवलॉक आईलैंड - बारातांग आईलैंड - पोर्ट ब्लेयर का विकास	27.57	20.89	पूर्ण
9.	तमिलनाडु	(2016-17)	चेन्नई - मामल्लापुरम - रामेश्वरम - कुलशेखरनपत्तिनम - कन्याकुमारी का विकास	73.13	71.03	पूर्ण
10.	गोवा	(2017-18)	रुआ डी ओरम क्रीक - डोन पौला - कोलवा - बेनौलिम का विकास	99.35	99.35	पूर्ण
प्रशाद						
11.	तमिलनाडु	(2016-17)	कांचीपुरम का विकास	13.99	13.99	पूर्ण
12.	तमिलनाडु	(2016-17)	वेलनकन्नी का विकास	4.86	4.86	पूर्ण

*****